न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 287 / 2022

अनवान : –

1. धर्मेन्दर पुत्र रतनलाल जाति सुनार निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सुरेन्द्र पुत्र रतनलाल जाति सुनार निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
3. प्रदीप सोनी पुत्र दौलतराम जाति सुनार निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
4. विकाश पुत्र दौलतराम जाति सुनार निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. आशाराम पुत्र रुधाराम जाति सुनार निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
2. रतनलाल पुत्र आशाराम जाति सुनार निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
3. दौलतराम पुत्र आशाराम जाति सुनार निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
4. भानीराम पुत्र आशाराम जाति सुनार निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
5. अंजना पुत्री आशाराम जाति सुनार निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 24/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता सं. 235/215 के ख.न. 142 की 1.4800 हैक्टर भूमि ख.न. 318 की 5.1740 हेक्टर, ख.न 327 की 3.6050 हेक्टर, ख.न. 354 की 4.4280 हैक्टर, ख.न. 355 की 0.9100 हैक्टर कुल तादादी 15.5000 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादीगण के दादा सयुक्त रूप से 3/5 हिस्सा के आशाराम पुत्र रुधाराम खातेदार काश्तकार है।

वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण के पड़दादा रुधाराम के नाम दर्ज थी तथा वादीगण के पड़दादा रूघाराम फौत हो चुके है। तथा उन[illegible] फौ[illegible]गी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 पर विरास्तन औद हुई तथा प्रतिवादी [illegible] रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता सं 235/215 की कुल तादादी 15.59[illegible] हैक्टर भूमि में सयुक्त [illegible] से 3/5 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:52:36 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खानदान दर्ज है यानि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 का प्रतिवादी सं. 1 के साथ हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है। यानि जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 प्रतिवादी सं. 1 क साथ ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 5 जो कि वादीगण की बुआ है तथा प्रतिवादी सं. 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की बहिन है तथ प्रतिवादी सं. 5 की शादी हो चुकी है तथा अपने ससुराल में काफी धन सम्पदा है तथा अपना जितना भी हक व हिस्सा था वह वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम जितनी भूमि शेष रहेगी व प्रतिवादी सं. 1 अपने पुत्र प्रतिवादी सं. 3 के नाम करवा देगा इसलिए रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता सं. 235/215 की कुल तादादी 15.5980 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 3/5 हिस्सा भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. 1/5 हिस्सा, वादीगण सं० 3 ता 4 ब.हि.ब. 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 अकेला 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रहा तत्पश्चात [illegible] की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयप[illegible] वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है [illegible] की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:52:36 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी सं. 5 जो कि वादीगण की बुआ है तथा प्रतिवादी सं. 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की बहिन है तथ प्रतिवादी सं. 5 ने अपना जितना भी हक व हिस्सा था वह वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम जितनी भूमि शेष रहेगी व प्रतिवादी सं. 1 अपने पुत्र प्रतिवादी सं. 3 के नाम करवा देगा इसलिए रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता सं. 235/215 की कुल तादादी 15.5980 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 3/5 हिस्सा भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. 1/5 हिस्सा, वादीगण सं० 3 ता 4 ब.हि.ब. 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 अकेला 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी स0 1 लगायत 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता सं 235/215 की कुल तादादी 15.5980 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से 3/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी सं. 5 जो कि वादीगण की बुआ है तथा प्रतिवादी सं. 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की बहिन है तथ प्रतिवादी सं. 5 ने अपना जितना भी हक व हिस्सा था वह वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम जितनी भूमि शेष रहेगी व प्रतिवादी सं. 1 अपने पुत्र प्रतिवादी सं. 3 के नाम करवा देगा इसलिए रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता सं. 235/215 की कुल तादादी 15.5980 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 3/5 हिस्सा भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. 1/5 हिस्सा, वादीगण सं० 3 ता 4 ब.हि.ब. 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 अकेला 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वादी वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 लगायत 5 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:52:36 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता सं. 235/215 की कुल तादादी 15.5980 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 3/5 हिस्सा भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. 1/5 हिस्सा, वादीगण सं० 3 ता 4 ब.हि.ब. 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 अकेले को 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/02/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:52:36 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 287/2022

अनवान : –

1. धर्मेन्दर पुत्र रतनलाल जाति सुनार निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सुरेन्द्र पुत्र रतनलाल जाति सुनार निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
3. प्रदीप सोनी पुत्र दौलतराम जाति सुनार निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
4. विकाश पुत्र दौलतराम जाति सुनार निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. आशाराम पुत्र रुधाराम जाति सुनार निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
2. रतनलाल पुत्र आशाराम जाति सुनार निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
3. दौलतराम पुत्र आशाराम जाति सुनार निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
4. भानीराम पुत्र आशाराम जाति सुनार निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
5. अंजना पुत्री आशाराम जाति सुनार निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 287 सन 2022 निर्णय दिनांक 24/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता सं. 235/215 की कुल तादादी 15.5980 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 3/5 हिस्सा भूमि में वादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. 1/5 हिस्सा, वादीगण सं० 3 ता 4 ब.हि.ब. 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 अकेले को 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:52:36 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर